न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 02/23 (वाद)
GCMS No. : 2023/5

अनवान

1. श्री रोड़ा पिता देवा जी जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम्

1. श्री अमरा पुत्र देवा जी जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी गाडरी बस्ती, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री कैलाश पुत्र कमला जी जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी गाडरी बस्ती, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. सोवनी पुत्री कमला जी जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी गाडरी बस्ती, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती हगामी पत्नी कमला जी जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी गाडरी बस्ती, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. पपुड़ी पुत्री भुरा जी जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी गाडरी बस्ती, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. श्रीमती ऐजकी पत्नी भुरा जी जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी गाडरी बस्ती, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) (तर्क किया गया)
7. श्री सुरेश पिता मांगीलाल जी जाति पालीवाल, उम्र वयस्क, निवासी श्रीनाथ डेयरी, छोटी ब्रह्मपुरी, जिला उदयपुर (राज०)
8. चन्द्री पुत्री भेरा जी जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी गाडरी बस्ती, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. श्री मांगु पुत्र भेरा जी जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी गाडरी बस्ती, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. श्री रामलाल पुत्र भेरा जी जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी गाडरी बस्ती, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. उप पंजीयक अधिकारी, मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:36 IST
Reason: SelfAttested

12. पटवारी, पटवार हल्का खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 08.11.2024

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खेमली, पटवार हल्का खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) की आराजी नं. 2025, 2026, 2027, 2028, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051 किता 9 रकबा 1.2949 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी 9 के नाम 1/6 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदार हक से अंकित है।
2. यहकि मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

देवा पिता भोपा गाडरी (मूलपुरुष) फौत

कमला (पुत्र) (फौत)   अमरा (पुत्र)   भूरा (पुत्र) (फौत)   रोडा (पुत्र) (वादी)

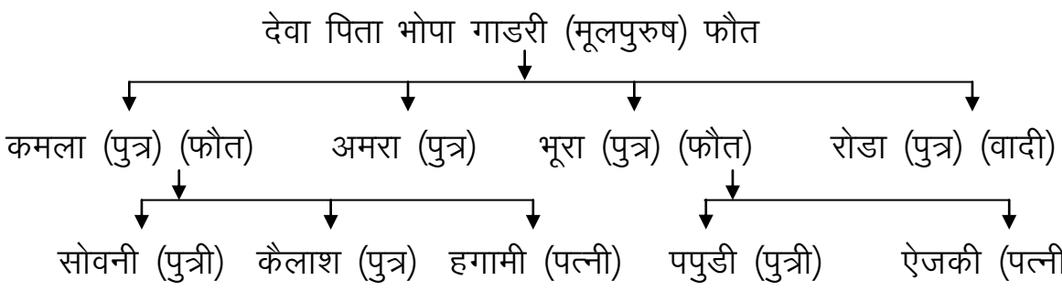

सोवनी (पुत्री)   कैलाश (पुत्र)   हगामी (पत्नी)   पपुडी (पुत्री)   ऐजकी (पत्नी)

उक्त सजरे अनुसार देवा पिता भोपा गाडरी हमारे मुल पुरूष थे जिनके चार पुत्र कमला, अमरा, भूरा, रोड़ा (वादी) हुए जिनमें कमला, भूरा का निधन हो चुका हैं। कमला के वारिस सोवनी, कैलाश एवं पत्नी हगामी हैं तथा भूरा के वारिस पुत्री पपुड़ी एवं पत्नी ऐजकी हैं। सजरे में अंकित जीवित सभी पक्षकार को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है।
3. यह कि वाद में वर्णित आराजीयात प[illegible]सार मौरूस देवा पिता भोपा गाडरी के नाम पर दर्ज थी जिनके देहावसान के पश्चात् मुझ वादी के भाईयों कमला,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:36 IST
Reason: SelfAttested

अमरा एवं भाई भूरा के वारिस प्रतिवादी संख्या 5, 6 ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर मुझ वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं करा नामान्तरकरण संख्या 1349 के जरिये स्वर्गीय श्री देवाजी के नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि को मुझ वादी के भाई कमला, अमरा एवं भूरा के वारिस प्रतिवादी संख्या 5, 6 ने अपने नाम ही अंकन करवा दी जबकि ऐसा करने का इनको कोई विधिक अधिकार नहीं था। भाई कमला मर चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 4 हैं। मैं वादी स्वर्गीय श्री देवा जी का जायन्दा पुत्र हूं और अपनी पैतृक कृषि भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहा हूं तथा मौजा खेमली में स्थित अन्य कृषि भूमि में मेरे पिताजी के नाम दर्ज भूमि विरासत के नामान्तरकरण संख्या 916 के जरिये मुझ वादी एवं अन्य वारिस कमला, भूरा, अमरा के नाम पर दर्ज हुई है जिसके नामान्तकरकरण संख्या 916 के जरिये मुझ वादी एवं अन्य वारिस कमला, भूरा, अमरा के नाम पर दर्ज हुई है जिसके नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न हैं।

4. यह कि उक्त भूमि मुझ वादी के भाईयों अर्थात् कमला, अमरा एवं भूरा के वारिस प्रतिवादी संख्या 5, 6 के नाम पर दर्ज हो जाने के पश्चात् कमला की मृत्यु होने पर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने कमला के नाम की जमीन को विरासत से अपने नाम अंकित करवा ली तथा उक्त जमीन उपरोक्तानुसार नाम पर दर्ज हो जाने से लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर प्रतिवादी संख्या 5, 6 ने उक्त भूमि में अपने नाम दर्ज कुलिया हिस्सा अपना होना बताकर प्रतिवादी संख्या 7 को नुमाईशी विक्रय पत्र के जरिये विक्रय कर दी और प्रतिवादी संख्या 7 ने नुमाईशी विक्रय पत्र की आड लेकर उक्त भूमि को अपने नाम अंकित करवा ली जिससे वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 5, 6 के बजाय प्रतिवादी संख्या 7 के नाम अंकित है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है और उक्त हस्तान्तरण मुझ वादी के पैतृक सम्पति में निहित हक अधिकारों के मुकाबले अवैद्य होकर शून्य एवं निष्प्रभावी है और इससे मेरी पैतृक जायदाद में मेरे जायज हक प्रभावित नहीं होते है किन्तु उक्त वर्णित पैतृक कृषि भूमि में मुझ वादी के हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं 7 के नाम पर अंकित होने से ये उसे हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहे है और प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने आपस में मिलकर मुझ वादी के कब्जे काश्त में भी दखलंदाजी कर व्यवधान पैदा कर बेदखल करने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:36 IST
Reason: SelfAttested

धमकीया दे रहे है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं वादी उक्त वर्णित कुलिया पैतृक कृषि भूमि में अपने हक हिस्से की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी हूं। इसलिए मुझ वादी की ओर से माननीय न्यायालय आपमें यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

5. यह कि मुझ वादी का मजबूत प्राइमाफैसी केस है क्योंकि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि मेरी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ वादी को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है लेकिन भाई कमला, अमरा एवं भूरा के वारिस प्रतिवादी संख्या 5, 6 ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर उक्त पैतृक कृषि भूमि को अपने नाम पर ही दर्ज करा दिया और कमला की मृत्यु होने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने कमला के नाम दर्ज भूमि को विरासत से अपने नाम दर्ज करवा ली और प्रतिवादी संख्या 5, 6 ने अपने नाम अंकन होने का नाजायज फायदा उठाते हुए वाद में अंकित भूमि में अपने नाम दर्ज कुलिया हिस्से प्रतिवादी संख्या 7 को नुमाईशी विक्रय पत्र के जरिये विक्रय कर दी और प्रतिवादी संख्या 7 ने नुमाईशी विक्रय पत्र की आड लेकर उक्त भूमि को अपने नाम अंकित करवा ली जो वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में अंकित है जो सभी अन्तरण एवं हस्तान्तरण मुझ वादी के हक अधिकारों के मुकाबले शुन्य एवं निष्प्रभावी है क्योंकि मैं वादी स्वर्गीय देवाजी का जायन्दा पुत्र हूं और मुझ वादी का अपनी उक्त पैतृक भूमि पर अपने हिस्सेनुसार कब्जा चला आ रहा है लेकिन उक्त पैतृक कृषि भूमि में निहित मेरा हिस्सा मेरे नाम पर दर्ज नहीं होने से अब प्रतिवादी संख्या 1 से 7 आपस में मिलीभगत कर मुझ वादी को मेरे हिस्से की भूमि में खेती करने मे रूकावट पैदा कर रहे है और अपने नाम दर्ज कुलिया जमीन अन्य को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की धमकीया दे रहे है और मेरे हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मै वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 मुझ वादी को अपनी पैतृक भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, बेदखल नहीं करे, भूमि कि किस्म परिवर्तित नहीं करवे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, प्रतिवादी संख्या 11 से 13 भी उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Designation:
Date: 2024.12.18 16:45:36 IST
Reason: SelfAttested

नहीं करे, नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं करे, रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में आंकना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादीयां के पक्ष में हैं।

6. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 26.12.2022 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने आपस में मिलीभगत कर हमसलाह एक राय होकर मुझ वादी को मेरे हिस्से की भूमि से बेदखल करने एवं जमीन को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. यह कि प्रतिवादी संख्या 8 से 10 सहखातेदार है, प्रतिवादी संख्या 11 दस्तावेजात का पंजीयन करते है, प्रतिवादी संख्या 12 राजस्व रेकार्ड का मेन्टन करते है, प्रतिवादी संख्या 13 भूमिधारी है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है इसलिए पक्षकार बनाये गये है तथा प्रतिवादी संख्या 11 से 13 राजकीय सेवक है जिन्हे वाद प्रस्तुत करने से पूव्र धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु उपरोक्त वाद आवश्यक प्रकृति का होने से एवं नोटिस देने से वाद प्रस्तुती में विलम्ब हो जाने की वजह से नोटिस दिये बिना वाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र धारा 80(2) जा.दी. का पृथक से आप न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया हैं।

8. अन्त में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं 7 के नाम अंकित कुलिया कृषि भूमि में 1/4 हक हिस्सा कृषि भूमि का मुझ वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर मुझ वादी का नाम राजस्व रेकार्ड खेवट खतौनी जमाबन्दी में अंकन कराया जावे। मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में वादी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, वादी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, भूमि की कि[illegible]वर्तित नहीं करावे, कच्चा/पक्का निर्माण नहीं करे, किसी प्रकार की दख[illegible]जी न स्वयं करे, न अपने नौकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purjadia
Date: 2024.12.18 16:45:36 IST
Reason: SelfAttested

चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखे। प्रतिवादी संख्या 11 से 13 को पाबंद किया जावे कि वे ताफैसला मूल वाद उक्त भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज पंजीयन नहीं करे, राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं करें, राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। विकल्प में निवेदन है कि यदि दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 7 अपने नाम अंकित भूमियों को हस्तान्तरित कर रेकार्ड में रद्दोबदल करवा देवे तो पुनः वाद दायरी दिनांक की रेकार्ड की यथावत् स्थिति रखे जाने का आदेश फरमाया जावें।

9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 फौत होने से उसका नाम तर्क किया जा चुका हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 5, 7 से 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

10. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्य वादी शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 श्री रोडा पिता देवा का शपथ पत्र पेश किये।

11. प्रकरण में वादी द्वारा दस्तावेज मौजा खेमली की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2075–78 की खाता सं. 34 प्रदर्श 1, खाता संख्या 33 प्रदर्श 2, नामान्तरकरण सं. 1349 की नकल प्रदर्श 3, नामान्तकरण संख्या 916 की नकल प्रदर्श 4, मौजा खेमली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2062–65 की खाता सं. 101 प्रदर्श 5, मौजा खेमली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2042–45 की खाता सं. 50 प्रदर्श 6, मौजा खेमली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 की खाता सं. 16, 17 प्रदर्श 7 प्रदर्श करवाये गये।

12. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एकरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

13. हमने अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रदर्श 5 ग्राम खेमली पटवार हल्का खेमली तह. मावली हाल घासा की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2062–65 के खाता सं. 101 पर दर्ज आराजी नम्बर 2025 से 2028, 2047 से 2051 किता 9 कुल रकबा 8 बीघा भूमि देवा, भेरा पिता भोपा गाडरी के नाम दर्ज थी। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में देवा पिता भोपा का 1/2 हक हिस्सा निहित था। देवा पिता भोपा की मृत्यु के पश्चात्

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:36 IST
Reason: SelfAttested

विरासत के नामान्तकरण संख्या 1349 दिनांक 25.02.2009 प्रदर्श 3 से देवा पिता भोपा के बजाय प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता कमला, अमरा प्रतिवादी संख्या 1 अमरा पिता देवा के नाम 2/6 हिस्से, एवं प्रतिवादी सं. 5 पपुडी, प्रतिवादी संख्या 6 एजकी के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज हुई। दस्तावेज प्रदर्श 7 से जाहिर है कि प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम दर्ज 1/6 हिस्से को उनके द्वारा विक्रय करने से नामान्तरकरण सं. 1579 द्वारा प्रतिवादी संख्या 5, 6 के बजाय प्रतिवादी सं. 7 सुरेश के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज हुई तथा कमला पिता देवा की मृत्यु होने पर विरासत के नामान्तकरण संख्या 1384 से कमला के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 2 से 4 के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि में देवा पिता भोपा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में विरासत के आधार पर वादी का नाम अंकित नहीं किया गया जबकि दस्तावेज प्रदर्श 6 ग्राम खेमली पटवार हल्का खेमली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2042–45 के खाता सं. 50 पर दर्ज आराजी नम्बर 1995, 2029, 2030, 2046, 2052, 2053 में भी वादी के पिता देवा पिता भोपा के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज था जो दस्तावेज प्रदर्श 4 नामान्तरकरण संख्या 916 दिनांक 21.07.88 के द्वारा विरासत से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के मौरूस कमला, प्रतिवादी सं. 5, 6 के मौरूस भूरा के नाम दर्ज हुई। अतः प्रदर्श 4 के नामान्तरकरण में देवा पिता भोपा का वारिस मानते हुए विरासत के नामान्तकरण में वादी का नाम अंकित किया गया है जबकि प्रदर्श 3 विरासत के नामान्तरकरण में वादी को देवा पिता भोपा का वारिस अंकित नहीं किया गया। वादी, देवा पिता भोपा गाडरी का वारिस होते हुए भी विरासत के आधार पर एक खाते में वादी का नाम अंकित नहीं किया गया जबकि वादी का हक हिस्सा अपनी मौरूसी भूमि में निहित था। इससे जाहिर होता है कि राजस्व कर्मचारी एवं ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय में त्रुटि की गई हैं। अतः विरासत के आधार पर वादग्रस्त भूमि में वादी को खातेदारी अधिकार दिये जाना न्यायोचित पाया जाता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर निर्णय किया जाता है कि मौजा खेमली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2024.12.18 16:45:36 IST
Reason: SelfAttested

पटवार हल्का खेमली तह. मावली हाल घासा की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2075–78 के खाता सं. 34 पर दर्ज आराजी नम्बर 2025 से 2028, 2047 से 2051 किता 9 कुल रकबा 1.2949 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 से 4, प्रतिवादी सं. 7 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि के बजाय वादी रोडा पिता देवा को 1/8 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 1 अमरा पिता देवा को 1/8 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 कैलाश पिता कमला, सोहनी पुत्री कमला, हगामी पत्नी कमला को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 7 सुरेश पिता मांगीलाल को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:36 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री रोड़ा पिता देवा जी जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम्

1. श्री अमरा पुत्र देवा जी जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी गाडरी बस्ती, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री कैलाश पुत्र कमला जी जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी गाडरी बस्ती, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. सोवनी पुत्री कमला जी जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी गाडरी बस्ती, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती हगामी पत्नी कमला जी जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी गाडरी बस्ती, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. पपुड़ी पुत्री भुरा जी जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी गाडरी बस्ती, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. श्रीमती ऐजकी पत्नी भुरा जी जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी गाडरी बस्ती, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) (तर्क किया गया)
7. श्री सुरेश पिता मांगीलाल जी जाति पालीवाल, उम्र वयस्क, निवासी श्रीनाथ डेयरी, छोटी ब्रह्मपुरी, जिला उदयपुर (राज०)
8. चन्द्री पुत्री भेरा जी जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी गाडरी बस्ती, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. श्री मांगु पुत्र भेरा जी जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी गाडरी बस्ती, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. श्री रामलाल पुत्र भेरा जी जाति गडरिया (गाडरी), उम्र वयस्क, निवासी गाडरी बस्ती, खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. उप पंजीयक अधिकारी, मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. पटवारी, पटवार हल्का खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:36 IST
Reason: SelfAttested

13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 02/23 (वाद)
GCMS No. : 2023/5

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा खेमली पटवार हल्का खेमली तह. मावली हाल घासा की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2075–78 के खाता सं. 34 पर दर्ज आराजी नम्बर 2025 से 2028, 2047 से 2051 किता 9 कुल रकबा 1.2949 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 से 4, प्रतिवादी सं. 7 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि के बजाय वादी रोडा पिता देवा को 1/8 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 1 अमरा पिता देवा को 1/8 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 कैलाश पिता कमला, सोहनी पुत्री कमला, हगामी पत्नी कमला को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 7 सुरेश पिता मांगीलाल को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08.11.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:45:36 IST
Reason: SelfAttested